संख्या-146/2026/I/1521346/2026/71-1002(002)/10/2025

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 13 नवम्बर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में गेट नम्बर-2 का निर्माण कार्य हेतु टेण्डर लागत के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2026-27/356, दिनांक 06.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में गेट नम्बर-2 का निर्माण कार्य हेतु टेण्डर लागत के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तथा धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-169/2025/I/1185063/2025/71-1002(002)/10/2025, दिनांक 26.12.2025 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में गेट नम्बर-2 का निर्माण कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 91.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में गेट नम्बर-2 का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 26.12.2025 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 91.34 लाख को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 सपठित शासनादेश दिनांक 18.06.2026 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में टेण्डर लागत के अनुसार **रू0 80.47 लाख** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-43- राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत कार्य की अंतिम किश्त के रूप में रू0 **30.47 लाख (रू0 तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 सपठित शासनादेश संख्या-5/2026/ए-2-आई/1365672/2026, दिनांक 18.06.2026 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर एवं बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।
6. यदि प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य/ कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-169/2025/।/1185063/ 2025/71-1002(002)/10/2025, दिनांक 26.12.2025 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,47,000 (रुपये तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054300 मेडिकल कालेज गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-बी/2026/4-2026/231-2026-दस/812, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित आधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

हरीश कुमार
उप सचिव।

संख्या/दिनांक, तैदव ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरीश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।